किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् जिलों में बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के सम्बंध में।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत प्रत्येक जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकरणों को निराकरण हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना है। समिति पांच सदस्यीय होगी, जिसमें से एक पद महिला के लिए सुरक्षित है, जो अधिनियम एवं नियमों में प्रदत्त शक्तियों व उत्तरदायित्व के तहत् जिले में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के सर्वोत्तमहित में निर्णय लेंगे। समिति के पदों के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से आवेदन आमन्त्रित किये जाते है।

1. बाल कल्याण समिति के सदस्यों के लिए योग्यता :-

- 01/01/2019 को न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए,
- शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों के क्षेत्र में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वषों का अनुभव हो या
- बाल मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा या सामाजिक कार्य या मानव विकास या समाजविज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री के साथ व्यवसायरत कृतिक या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी होना चाहिए।

2. बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल-

- समिति के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नही होगा।
- समिति का कोई भी सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जो कि लगातार नहीं होंगे।

3. निम्न व्यक्ति बाल कल्याण समिति के सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होंगे।

1. मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई रिकॉर्ड हो
2. ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिस में नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,
3. उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है,

4. वह कभी बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है,

4 **अन्य आवश्यक शर्तें / मापदण्ड–**

1. यह विज्ञप्ति शासकीय सेवा के लिए नहीं है।
2. समिति के सदस्यों को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जायेगा किसी भी प्रकार का अन्य भुगतान या भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
3. चयन समिति योग्यता, बालकों के साथ कार्य करने के अनुभव और अभ्यर्थी के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन करेगी। सदस्यों को साक्षात्कार के लिए स्वयं के व्यय पर उपस्थित होना होगा।
4. योग्य अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आयुक्त, महिला एवं बाल विकास कार्यालय में निर्धारित तिथि तक रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0755–2550910 पर कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
5. ऐसे पूर्णकालिक पद का धारक नही होना चाहिए, जो अधिनियम और नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए व्यक्ति को आवश्यक समय और ध्यान देने की अनुमति न देता हो।
6. बोर्ड या समिति के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्था से जुड़ा न हो।
7. अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक दल का पदाधिकारी न हो।
8. दिवालिया न हो।
9. समिति का सदस्य चयनित होने के उपरांत निर्धारित प्रशिक्षण करना अनिवार्य है प्रशिक्षण न करने की स्थिति में चयन निरस्त किया जा सकता है।
10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
11. किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति हेतु पृथक–पृथक आवेदन मय दस्तावेज के मान्य होंगे।
12. चयनित होने पर ज्वाईनिंग से पहले पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट बाल संरक्षण अधिकारी / जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत की जाना अनिवार्य होगी। तदोपरांत ज्वाईनिंग ली जावेगी।

13. आवेदन निर्धारित प्रारूप में होना चाहिये तथा समस्त दस्तावेज विधिवत संलग्न होना चाहिये। आवेदन पूर्ण/विधिवत नही होने पर निरस्त कर दिया जावेगा।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत जिलों में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत् प्रत्येक जिले में विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चो के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाना है। बोर्ड में सदस्य के दो पद है, जिसमें से एक पद महिला के लिए आरक्षित है, इन पदों के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं से आवेदन आमन्त्रित किये जाते है।

1. किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के लिए योग्यता :–

- 01 जनवरी 2019 को न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए,
- शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम सात वर्षो का अनुभव हो या
- बाल मनोविज्ञान या मनश्चिकित्सा या समाजविज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होना चाहिए।

2. बोर्ड के सदस्यों का कार्यकालः–

- बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष से अधिक नही होगा।
- बोर्ड का सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य अधिकतम दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा जो लगातार नहीं होंगे।

3. निम्न व्यक्ति किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होंगेः–

1. मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड हो,
2. ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या उसे उस अपराध के संबंध में पूर्ण क्षमा प्रदान नहीं की गई है,
3. उसे केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन किसी उपक्रम या निगम की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है,
4. वह कभी बालक दुर्व्यापार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य में लिप्त रहा है।